अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी एल०एफ०/80 31-5-2016

सा0– 64

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद।

सम्परीक्षा आख्या

लेखे का नाम – नगर पालिका परिषद, बिलग्राम हरदोई।

अवधिः– वर्ष 2014–15

सम्परीक्षा तिथि :– सम्परीक्षा दिनॉक 13–7–15 को प्रारम्भ एवं दिनॉक 23–1–16 को समाप्त हुई।

प्रस्तावनाः– यह सम्परीक्षा आख्या भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकि मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा मापदण्डो तथा लेखा परीक्षा प्रमाणन के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए राज्य अधिनियम व उपविधियों के अन्तर्गत तैयार की गई है।

प्रशासनः– आलोच्य अवधि में निम्नांकित पदाधिकारी संयुक्त रूप से आहरण वितरण अधिकारी रहे।

क0	नाम पदाधिकारी	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती मालती रमन गुप्ता	अध्यक्ष	01–4–14 से 31–15
2	श्री अजीत कुमार	अधिशासी अधिकारी	1–4–14 से 07–4–14
3	श्रीमती मीनू सिंह	–"–	1–5–14 से 31–3–15
4	श्री अजय कश्यप	अवर अभियन्ता(सम्बन्ध)	1–4–14 से 31–3–15

सम्परीक्षा का स्वरूपः– उपलेखा परीक्षा।

भाग–क

1– वर्तमान लेखा परीक्षा–

(क) वित्तीय एवं गम्भीर अनियमितताऐं–

(एक) निधियों एवं सम्पत्तियों की क्षति के प्रकरण –

(अ) कम दर से जलमूल्य आरोपित किये जाने से भारी वार्षिक क्षति रू0 12,64,200=00:–

संस्था की जल संयोजन पंजी की जांच से प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा रू0 6=50 प्रतिमाह की दर जलमूल्य आरोपित कर संग्रहण किया जाता रहा था। जबकि दिनॉक 1–1–15 से यह दर संशोधित कर रू0 30=00 कर दी गयी थी। उल्लेखनीय था कि नगर विकास अनुभाग की राजज्ञा सं0– 1810/9–2–96–57 (रा/96 दिनॉक 08–1–97 द्वारा नगर पालिका परिषदो के लिए जलमूल्य की दर रू0 50=00 न्यूनतम निर्धारित की गयी थी। इससे प्रतिवर्ष पालिका को एक बडी धनराशि की आय से वंचित कर क्षति पहुंचायी जा रही थी। शासनादेश जारी होने के 18 वर्ष उपरान्त भी उसका अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप जल संयोजनो की मरम्मत, अनुरक्षण व विस्तार आदि में पालिका द्वारा आरोपित वर्ष 2014–15 हेतु रू0 159175=00 की धनराशि नगणय थी। इसे इस मद में किये गये व्यय का अधिकांश भाग शासकीय अनुदान पर भारित हो रहा था। यह स्थिति नितान्त आपत्तिजनक व असन्तोष्जनक थी। शासनादेश को अविलम्ब लागू करते हुए उपरोक्त क्षति का औचित्य स्पष्ट किया जाए। क्षति की गणना निम्नवत् है।

अवधि	विवरण	धनराशि
01–4–14 से 31–12–14 तक = 9 माह ×2800 संयोजन×(50–6.50)43=50		10,06,200=00
1–1–15 से 31–3–15 तक = 3 माह×2800 संयोजन×रू0 43=50		1,68,000=00
	योग	12,64,200=00

(ब) कम मूल्य पर ठेका आवटन से क्षति रू0 1,40900=00 :– आलोच्य अवधि में संस्था द्वारा गत विगत वर्षो में ठेका मूल्य से भी कम धनराशि में ठेका नीलाम किये जाने से निम्नवत् पालिका को रू0 140900=00 की क्षति हुई थी। जबकि नियमानुसार न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर ठेका आवटित किया जाना चाहिए थे।इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित थी।

क्र0	मद	गत ठेका मूल्य	वर्तमान ठेका मूल्य	क्षति
1	अल्पावधि कब्जा (10 माह)	627000×10/12= 522500=00	390000=00	132500=00
2	गन्दा पानी का सूयरे	7,700=00	5500=00	2200=00
3	गन्दा पानी मैदानपूरा उत्तरी	10,000=00	3800=00	6200=00
			योग	1,40,900=00

(स) दुकान किराया की दरो में सामयिक वृद्धि न करने से क्षति रू0 66406=00 :– संस्था के स्वामित्वाधीन निम्नवत् 30 दुकाने किराये पर आवटित थी। इनकी कोई पत्रावली अनुरक्षित नही पायी गयी तथा सभी दुकाने निम्नविवरणानुसार अति नगणय दरो पर दीर्घावधि से किराये पर आवटित थी उक्त सभी दुकाने कम से कम 10 वर्ष पूर्व आवंअित की गयी थी तब से इनके किराये की दरो में कोई वृद्धि नही की गयी थी जबकि नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर की जानी चाहिए थी। किन्तु इस आशय का कोई अनुबन्ध ही सत्यापित न किये जाने से पालिका की वैधानिक स्थिति कमजोर थी। यह स्थिति तत्कालीन तथा पश्चात्वर्ती सभी पालिका बोर्ड तथा अधिशासी अधिकारियों की गम्भीर उदासीनता का घोत्क थी। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा गत विगत वर्षो में इससे हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करते हुए किराया दर में अविलम्ब वृद्धि कर इसे बाजार में किराया की प्रचलित दरो/सर्किल दरो के अनुरूप किया जाना अपेक्षितहैः–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			योग	54000=00

<u>**(दो) व्यय हरण के प्रकरण :–**</u> ऐसा कोई प्रकरण उप सम्परीक्षा में प्रकाश में नही आया।

<u>**(तीन) अधिक/अनियमित/अनानुमोदित व्यय/ भुगतानो के प्रकरणः–**</u>

<u>**(अ) बीमा अंशदान का कर्मचारियो को अनियमित भुगतान रू0 10440=00 :–**</u> संस्था के वेतन देयको की जांच से प्रकाश में आया कि इसके द्वारा अपने सभी कर्मचारियो को प्रतिमाह बीमा अंशदान का अंश वेतन में म्मिलित कर भुगतान किया जा रहा था जबकि निर्धारित दर पर अंशदान कटौती कर जमा किया जा रहा था। इससे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान पर अनियमित व्यय भार के रूप में अनुदान का दुरूप्योग किया गया था। सम्पूर्ण

क्र0	दुकानो की स्थिति तथा लोकेशन	मासिक किराया दर	दुकानो संख्या
1	2	3	4
1	आफिस के आगे स्थित	218=75	16
2	बी0जी0आर0 इन्टर कालेज के सामने स्थिति	281=25	11
3	जल निगम के निकट स्थिति	400	3

अवधि (दिनॉक 1–1–06 से वसूली तिथि तक) में इसकी धनराशि सुनिश्चित कर इसकी वसूली कर अनुदान की प्रतिपूर्ति अपेक्षित थी। सम्परीक्षा वर्ष 2014–15 में इसकी धनराशि निम्नवत् थी।

पदनाम	संख्या	दर प्रतिमाह	माह	धनराशि
अधिशासी अधिकारी	1	60	12	720=00
खाद्य निरीक्षक	1	60	12	720=00
कर अधीक्षक	1	30	12	360=00
लिपिक	2	30	12	720=00
पम्प चालक	1	30	12	360=00
सफाई नायक	1	30	12	360=00
चौकीदार	1	30	12	360=00
चपरसी	9	30	12	3240=00
बेलदार	2	30	12	720=00
सफाई कर्मचारी	8	30	12	2880=00
			योग	10,440=00

<u>(ब) मैं0 एम0आर0 ट्रेक्नोकेट को अधिक भुगतान रू0 500000=00 से क्षतिः–</u> संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्रम की गई जे0सी0बी0 हेतु मै0 एम0आर0 टेक्नोक्रेट क0 लखनऊ को रू0 29,00000=00 का भुगतान किया गया था। पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा उक्त फर्म द्वारा दिनॉक 26–8–14 को प्रदत्त प्राफार्मा इनवाइस के आधार पर ही रू0 28050,000=00 का आगणन तैयार कर निविदा आमंत्रित की गई थी। किन्तु प्राप्त तीन निविदाओं में से न्यूनतम निविदा इसी फर्म द्वारा रू0 29,00000=00 की होने के कारण स्वीकृत की गई थी तथा आपूर्ति प्राप्त कर इसे भुगतान किया गया था। इससे स्पष्ट था कि उक्त फर्म द्वारा दिनॉक 26–8–14 को दिये गये प्रोफार्मा इनवइस के बावजूद मात्र पांच मात्र बाद 21–1–15 को 50,000/– की वृद्धि के साथ निविदा दिये जाने का कोई औचित्य नही था। अतः उक्तानुसार संस्था को किये गये अधिक भुगतान रू0 50,000=00 का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा दशा में अधिक भुगतान की वापसी अपेक्षित है।

(स) निजी सम्पत्ति पर हैन्डपम्प अधिष्ठान से अनुदान का दुरूपयोग रू0 84,605=00 :– संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग की धनराशि से नगर क्षेत्रान्तर्गत इडिया मार्का –।। हैन्डपम्पो की स्थापना करायी गई थी। तत्सम्बन्धी पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि दिलीप कुमार गुप्ता, ठेकेदार को उक्त कार्य हेतु किये गये भुगतान में निम्नवत विभिन्न निजी स्कूल, निजी भखण्डी तथा निजी बाग में हैन्डपम्प अधिष्ठान हेतु भी निम्नवत् रू0 84,605=00 का भुगतान सम्मिलित था। यह स्थिति शासकीय अनुदान के दुरूपयोग का स्पष्ट प्रकरण थी। इसका औचित्य सम्परीक्षा में स्पष्ट नही किया गया था। उत्तरदायित्व निर्धारित कर इसकी वसूली अपेक्षित थी–

क्र0	स्थान	धनराशि
1	वार्ड–15 में सौरभ के स्कूल में	30,365=00
2	वार्ड–। में रावणपुरवा में राजेन्द्र के भूखण्ड पर	26,184=00
3	वार्ड–12 में हरि किशोर के बाग में	28,056=00
	योग	84,056=00

(द) बधाई सन्देश प्रकाशन हेतु अनियमित भुगतान रू0 15,000=00 :– संस्था द्वारा आलोच्य अवधि में निम्नवत् बधाई सन्देश हेतु सजावटी विज्ञापन प्रकाशन हेतु समचार पत्रो को भुगतान किया गया था जो समय–समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशो के दृष्टिगत सम्परीक्षा में मान्य नही थी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित थी।

क्र0	दिनॉक	व्यय प्रमाणक सं0	धनराशि	विवरण
1	3–2–15	09	5000=00	राष्ट्रीय प्रस्तावना को 26 जनवरी 2015 पर बधाई सन्देश प्रकाशनार्थ
2	19–2–15	37	10,000=00	दैनिक जागरण को 26 जनवरी 2015 पर बधाई सन्देश के प्रकाशनार्थ
		योग	15,000=00	

(य) त्रुटिपूर्ण गणना से ठेकेदार को अधिक भुगतान रू0 14,612=00 :– संस्था द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावली/ माप–पुस्तिका की जांच से प्रकाश में आया कि त्रुटिपूर्ण गणना द्वारा निम्नांकित प्रकरणो में ठेकेदारो को अधिक भुगतान किया गया था इसकी सम्बन्धित से वापसी अपेक्षित थी–

क0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतानित धनराशि	देय धनराशि	अधिक भुगतान
1	विभिन्न स्थानो पर नाली व खन्डजा मरम्मत व कास निर्माण में माप पुस्तिका सं0–2 के पृष्ठ –43 ए से 47 ए में औसत तीन मदो की गणना में 2 से विभाजित करने से मद सं0– 6 की मात्रा 2.44 घन मी0 के स्थान पर 3.66 पर भुगतान किया गया अर्थात 1.22 घ0मी0 का रू0 3100=00 की दर से	विश्व प्रकाश त्रिपाठी	11346=00	7564=00	3782=00
2	मो0 सुल्हाडा में रसूल अहमद से मकबूल तक सीसी रबर मोल्डेड इ0ला0/नाली निर्माण में बिल से ब्रिक बेट्स न घटाने से अधिक भुगतान	नईम सिछ्दीकी	285487=00	277057=00	8430=00
3	नलकूप –I पर जनरेटर दिनॉक 20–9–14 से 27–9–14 तक 8 दिन का किराया रू0 2400=00 प्रतिदिन	कन्नौजिया लाइट हाउस	21600=00	19200=00	2400=00
				योग	14,612=00

<u>(च) श्री सरोज तिवारी, ठेकेदार को आदर्श नगर योजनान्तर्गत अधिक भुगतान रू0 2,65,453=00 :–</u> पार्श्वांकित योजनान्तर्गत मुख्य मार्ग चौराहा से सरकारी अस्पताल तक सडक चौडीकरण व डामरीकरण कार्य सम्बन्धी पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा निम्नवत् उक्त कार्य हेतु श्री सरोज तिवारी ठेकेदार को अनानुमोदित/अमान्य भुगतान किया गया था, जिसकी सम्बन्धित ठेकेदार/उत्तदायी अधिकारी से वसूली/वापसी कराकर अनुदान की प्रतिपूर्ति वांछित थी।

(1) संस्थ द्वारा शासन को प्रेषित आगणन सहित कार्य योजना को स्वीकृत प्रदान की गयी थी किन्तु पत्रावली में संलग्न नोटशीट के पृष्ठ संख्या–6 पर स्पष्ट रूप से अंकित था कि अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी के मौखिक आदेश पर स्थल पर शासन द्वारा स्वीकृत रोड एरिया के सापेक्ष रोड ऐरिया में वृद्धि की गयी थी। जिसके

फलस्वरूप शासन से कार्य की मात्रा व स्पेसिफिकेशन में वृद्धि व परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्राप्त नही की गयी थी, तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जे0ई0 की उपरोक्त आइया पर बढे हुए कार्य की स्वीकृति सहित बिल भुगतान की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की गयी थी। जबकि नियमानुसार उक्त योजनान्तर्गत आगणन शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसमें वृद्धि की स्वीकृति भी शासन ही प्रदान कर सकता था। जिसके अभाव में अध्यक्ष द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रदत्त स्वीकृति सम्परीक्षा में मान्य नही थी। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(2) उपरोक्तानुसार अनाधिकृत स्वीकृति के आधार पर संस्था द्वारा ठेकेदार श्री सरोज तिवारी को निम्नवत् रू0 2,65,453=00 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि पूण्र रूप से अनुदान की धनराशि से अनानुमोदित भुगतान करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण था। इसका औचित्य स्पष्ट किया जायः–

क0	कार्य की मद	ठेकेदार द्वारा बिल में दर्शायी गयी मात्रा	शासन द्वारा आगणन में स्वीकृत मात्रा	कार्य की मात्रा में अन्तर	कार्य की दर	अनानुमोदित/ अधिक भुगतान रू0
1	ब्रिक वर्क एम–150	19.62	6.90	12.72	4300	54,696=00
2	सप्लाई /सेकिंग स्टोन ब्लास्ट 22–53	898.60	847	51060	1795	92,622=00
3	सप्लाई/स्टेकिंग स्रोन ब्लास्ट 40–63	237.29	198	39.29	1780	69936=00
4	बिटुमिन पेटिग	3964.62	3850	114.62	83	9513=00
5	प्रिमिक्स बिछाना 3964.62	3964.62	3850	114.62	58	6,648=00
6	सीलकोट लगाना	3964.62	3850	114.62	58	6,648=00
7	अर्थवर्क खुदाई	369	330	39	168.30	6564=00
8	मारबल डस्ट	162.65	156.75	5.90	1695	10,000=00
					योग	2,65,453=00

<u>(छ) मो0 अनवार, ठेकेदार को आदर्शनगर योजनान्तर्गत अनानुमोदित भुगतान रू0 3,79,926=00 :–</u> पार्श्वांकित योजनान्तर्गत सदर बाजार से गुलाबवाडी चुंगी तक सी सी रोड निर्माण व चौडीकरण सम्बन्धी पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा निम्नवत् उक्त कार्य हेतु मो0 अनवार, ठेकेदार को अनानुमोदित/ अमान्य

भुगतान भुगतान किया गया था। जिसकी सम्बन्धित ठेकेदार/उत्तरदायी अधिकारी से वसूली वापसी कर अनुदान की प्रतिपूर्ति अपेक्षित थीः–

(1) संस्था द्वारा शासन को प्रेषित आगणन सहित कार्य योजना को स्वीकृत कर शासन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी किन्तु पत्रावली में संलग्न नोटशीट के पृष्ठ –5 पर स्पष्ट रूप से अंकित था कि अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मौखिक आदेश पर स्थल पर शासन द्वारा स्वीकृति 5 मी0 के स्थान पर 6 मी0 चौडी सडक का कार्य कया गया है, इस प्रकार इस सम्बन्ध में शासन से कार्य की मात्रा व स्पेसिफिकेषन में वृद्धि व परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्राप्त नही की गयी तथा कार्य समापन के उपरान्त जे0ई0 की उपरोक्त आख्या पर बढे हुए कार्य की स्वीकृति सहित बिल भुगतान की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की गयी थी। जबकि नियमानुसार उक्त योजनान्तर्गत आगणन शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसमें वृद्धि की स्वीकृति भी शासन ही प्रदान कर सकता था जिसके अभाव में अनाधिकृत रूप से अध्यक्ष द्वारा दी गयी स्वीकृति सम्परीक्षा में मान्य नही थी इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) उपरोक्तानुसार अनाधिकृत स्वीकृति के आधार पर संस्था द्वारा ठेकेदार श्री मोव अनवार को निम्नवत् रू0 3,79,926=00 का आधिक भुगतान किया गया था जो कि पूर्ण रूप से अनुदान की धनराशि से अनानुमोदित भुगतान करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण था। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय।

क0	काय्र की मद	ठेकेदार द्वारा बिल में दर्शायी गयी मात्रा	शासन द्वारा आगणन में स्वीकृत कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा में अन्तर	कार्य की दर (रू0)	अनानुमोदित/ अधिक भुगतान (रू0)
1	अर्थवर्क इन कटिंग	147.75	110.25	37.20	168.30	6261=00
2	ब्रिक वर्क एम 150	8.62	6.90	1.72	4300	73,96=00
3	सप्लाई/ स्टेकिंग स्टोन बैलास्ट 22–53	620.36	539.00	81.36	1795	1,46,041=00
4	–तदैव– 40–63	154.68	110.25	44.43	1780	79.085=00
5	बिटुमिन पेटिंग	3150.19	2450.00	700.19	83	58,116=00
6	क्लीनिंग आफ सरफेस	2880.19	2450.00	430.19	135	58,076=00

7	सीटम कोट	2880.19	2450.00	430.19	58	24,951=00
					योग	3,79,926=00

(ग) उक्त कार्य हेतु शासन को प्रेषित आगणन रू0 23,06,220=00 स्वीकृत था जिसके सापेक्ष प्रथम रनिंग बिल रू0 10,93,300=00 तथा द्वितीय /अन्तिम बिल रू0 14,10,050=00 अर्थात कुल धनराशि रू0 25,03,350=00 का भुगतान किया गया था । जबकि स्वीकृत आगणन में से कुल रू0 1,72,305=00 (80 एम एम टाइल रू0 84,500+प्लास्टर रू0 10,350+ अर्थवर्क खुदाई कार्य का रू0 18,555+ मेकिग इनफिनिट लाइन रू0 52,900 + साइन बोर्ड रू0 5,000) का कार्य नही कराया गया था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से अन्य कार्यो में बचत के अतिरिक्त रू0 369,435=00 (25,03,350–(23,06,220–172,305) का अधिक भुगतान परिलक्षित था। इसकी मानको के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(4) कार्य सन्तोष जनक प्रमाण पत्र का औचित्य छोडे गये कार्यो के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाय।

(ज) श्री दिलीप कुमार गुप्ता, ठेकेदार को आदर्श नगर योजना अनानुमोदित भुगतान रू0 2,00,374=00 :–
पार्श्वांकित योजनान्तर्गत कन्नौज बाईपास से रफैयतगंज में विवेक के मकान तक सडक चौडीकरण तथा डामरीकरण सम्बन्धी पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा निम्नवत् उक्त कार्य हेतु श्री दिलीप कुमार गुप्ता, ठेकेदार को अनानुमोदित / अमान्य भुगतान किया गया था। जिसकी सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली/ वापसी आपेक्षित थी अन्यथा दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित से अनानुमोदित व्यय की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित थी।

क0	विवरण	धनराशि
1	संस्था द्वारा पुराने खंडजे की उखडाई हेतु बिल में कुल 416.64 घ0मी0 कार्य दर्शाया गया था जिसका रू0 365=40 की दर से भुगतान किया गया था। जबकि इस सम्बन्ध में शासन से स्वीकृत पत्रावली में संलग्न आगणन में यह मद सम्मिलित नही थी उल्लेखनीय है कि उक्त योजना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत शासन स्तर से ही मान्य थी इस प्रकार यह सम्पूर्ण व्यय अनानुमोदित तथा अमान्य था।	1,52,240=00

2	सस्था द्वारा "अर्थवर्क इन कटिंग " मद हेतु बिल में कुल 365.79 घ0मी0 कार्य दर्शाकर रू0 168=30 की दर से भुगतान किया गया था जबकि शासन द्वारा स्वीकृत आगणन में मात्र 185.62 घ0मी0 ही अनुमोदित था, उक्त वृद्धि पत्रावली में संलग्न नोटशीट पृष्ठ–4 पर अंकित आख्यानुसार अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी के मौखिक आदेशानुसार कार्य की चौडाई तथा मदो में वृद्धि के कारण हुई थी। उल्लेखनीय था कि शासकीय स्वीकृति के अभाव में कार्य की मात्रा में 97 में उक्त वृद्धि मान्य नही थी। अतः 30,323=00 का उक्त अनानुमोदित भुगतान वसूली योग था।	30,323=00
3	संस्था द्वारा "अर्थवर्क इन फिलिग इबैकमेन्ट" मद हेतु बिल में 829.07 घ0मी0 कार्य दर्शाकर रू0 163=30 की दर से भुगतान कियागया था। जबकि शासन द्वारा स्वीकृत आगणन में मात्र 720 घम0मी0 ही कार्य अनुमोदित था। संलग्न पृष्ठ–4 के अनुसार उक्त वृद्धि अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी के मौखिक आदेश पर की गयी । उक्त वृद्धि अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी के मौखिक आदेश पर की गयी थी। शासकीय स्वीकृति के अभाव में उक्त धनराशि का अनानुमोदित भुगतान वसूली योग्य था।	17,811=00
	योग	2,00,374=00

<u>(झ) मो0 अनवार ठेकेदार को राज्य वित्त अनुदान से अमान्य भुगतान रू0 149,647=00 :–</u> संस्था द्वारा मो0 मण्डई में छोटे लाल के मकान से द्वारिका माथुर से होकर अर्जुन सिंह के मकान तक सी0सी0 रबड मोल्डेड इण्टर लांकिग रोड व नाली व निम्रण हेतु कार्य मो0 अनवार ठेकेदार को निविदा द्वारा आवंटित किया गया था। इसकी पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि ठेकेदार द्वारा आवंटित उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त टिल्लू के मकान से श्यामाचरन के तक भी उक्त कार्य सम्पादित कर इसकी लागत को आवंटित कार्य के बिल में सम्मिलित कर दिया गया था। इससे अनुदान की धनराशि से निम्नवत् रू0 1,49,647=00 का अधिक/अमान्य भुगतान किया गया था। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाच अन्यथा दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/ उत्तरदायी अधिकारी से इसकी वसूली/ प्रतिपूर्ति अपेक्षित थी।

क्र0	कार्य की मदो का विवरण	ठेकेदार द्वारा बिल में दर्शायी गयी मात्रा	आगणन में दर्शायी गयी मात्रा	कार्य की मात्रा में अन्तर	कार्य की दर	अनानुमोदित अधिक भुगतान (रू0)
1	अर्थवर्क का स्पष्टकेवेशन इन फाउण्डेशन	81.25	–	81.25	85	6,906=00
2	डिस्पोजल आफ अर्थ	78.17	––	78.17	99.90	7,809=00
3	सी0सी0 1:6:12	7011	––	255.87	34=00	8,700=00
4	डिस्मेन्टलिंग सीमेन्ट कन्क्रीट आदि	255.87	––	255.87	34=00	8,700=00
5	ब्रिक वर्क एम 150	8.72	5.94	2.78	4600=00	12,788=00
6	स्टोन बैलास्ट	27.30	7.92	19.38	3100=00	60,078=00
7	आर0सी0सी01:2:4	1.18	0.80	.38	7300=00	2774=00
8	माइल्ड आयरन वर्क	0.73	0.40	.33	6800=00	2244=00
					योग	1,49,647=00

(चार) राजस्व क्षति के प्रकरण :–

(अ) कम स्टाम्प पर अनुबन्ध से राजस्व क्षति रू0 17,700=00 :– संस्था द्वारा आलोच्य अवधि में नीलामी द्वारा आवन्टित ठेको का अनुबन्ध नियमानुसार निर्धारित धनराशि के स्टाम्प के स्थान पर कम मूल्य के स्टाम्प पर किये जाने से निम्नवत् रू0 1,7,700=00 की राजस्व की क्षति हुई थी । इसकी सम्बन्धित/उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति अपेक्षित है––

क्र0	ठेके की मद	ठेकेदार का नाम	ठेका मूल्य	4 प्रतिशत की दर से निर्धारित स्टाम्प	लगाया गया स्टाम्प	राजस्व क्षति
1	अल्पावधि कब्जा	सतीश कुमार	3,90,00=00	15,600=00	100=00	15500=00
2	हड्डी चमडा	अजीत कुमार	14,500=00	600=00	––	600=00
3	छोटा मजबा	बली उल्ला	1,100=00	80=00	––	600=00
4	बडा मजबा	सईद मोहम्मद	9,400=00	400=00	––	400=00

5	गन्दा पानी मलकाण्ड	अकील	5,200=00	240=00	--	240=00
6	-''-कासूपेट	रहमत अली	5,500=00	240=00	--	240=00
7	-''-ख्वाजापीर	रइेस खॉ	11,7..=00	480=00	--	480=00
8	-''-मैदान पूरा उ0	महेश	3,800=00	160=00	--	160=00
					योग	17,700=00

(ब) दुकान किरायेदारो से अनुबन्ध सम्पादित न कराने से स्टाम्प की क्षति रू0 11400=00 :- संस्था के दुकान किराया की जॉच से प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा दुकानो के आवन्टियों से कोई अनुबन्ध (किरायेदारी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत) सम्पादित नही किया गया था। इससे एक ओर तो किराया भुगतान न करने पर भी दुकान संख्या-24 की आवन्टी श्रीमती शिव देवी के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही तथा वेदरवली की काय्रवाही सम्पन्न नही हो पा रही थी दूसरी ओर इससे शासकीय राजस्व को भी स्टाम्प न लगाने के कारण रू0 114,00=00 की क्षति हुई थी। इस सम्बन्ध में अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही करते हुए स्टाम्प क्षति की भी प्रतिपूर्ति की जाए। इसका विवरण निम्नांकित है-

क0	दुकानो का विवरण	संख्या	प्रति दुकान वार्षिक किराया	पूर्णांकित रू0 100=00	कुल वार्षिक किराया	स्टाम्प क्षति वार्षिक मूल्य का 12 प्रतिशत
1	आफिस के आगे दर रू0 218.75	16	2625	2700	43200=00	5,184
2	बी0जी0आर0 काजिल के पास रू0 281=25	11	3,375	3400	37400=00	4488
3	जल निगम के पास	3	4,800=00	4800	14,400=00	1,728
					योग	11,400

(स) सोलर लाइट के बिल से सेस की कटौती न करने से राजस्व की क्षति रू0 1,03,884=00 :- पालिका द्वारा अर्चिता इलेक्ट्रिक्स से आलोच्य अवधि में 110 सोलर लाईट रू0 94,440=00 प्रति नग की दर पर न्यूनतमनिविदा के आधार पर कय कर रू0 1,03,88,400=00 का बिल भुगतान आयकर तथा विकीकर की कटौती के उपरान्त किया गया था किन्तु उक्त बिलो से नियमानुसार 1 प्रतिशत श्रमिक उपकर रू0 1,03,884=00 की कटौती नही की गयी जबकि निर्माण कार्य (अधिष्ठान) का सम्मिलित बिल होने के कारण बिल से उपकर की कटौती अनिवार्य थी। इस

प्रकार अर्चित इलैक्ट्रिकल्स को रू0 10,3884=00 के अधिक भुगतान की वापसी करते हुए इसे निर्धारित कोषागार लेखा शीर्षक में चालान द्वारा प्रेषित किया जाए।

(द) टेन्डर फार्म पर वैट न लेने से राजस्व की क्षति रू0 5200=00 :– संस्था के टेन्डर रजिस्टर की जॉच से प्रकाश में आया कि विभिन्न निर्माण कार्यो/आपूर्ति/अन्य कार्यो हेतु आलोच्य अवधि में कुल रू0 103990=00 के टेन्डर फार्म संस्था द्वारा विक्रय किये गये थे किन्तु इसके मूल्य पर वैट 5 प्रतिशत प्राप्त नही करने से शासकीय राजस्व की रू0 5200=00 की क्षति हुई थी। इसकी ठेकेदारो अथवा उत्तरदायी से वसूली कर राजस्व की प्रतिपूर्ति अपेक्षित थी।

(य) पालिका कर्मी द्वारा कम वसूली से क्षति रू0 6,1370=00:– संस्था द्वारा अल्पावधि कब्जा/वाहन टैक्स ठेका की नीलामी 01–6–14 से 31–3–15 तक की 10 माह की अवधि हेतु की गई थी। पत्रावली से स्पष्ट था कि दिनॉक 01–4–14 से 31--5–14 तक दो माह की अवधि में उक्त की वसूली संस्था कर्मी द्वारा की गयी थी। जॉच से प्रकाश में आया कि कर्मचारी द्वारा उक्त अवधि में मात्र रू0 43130=00 की ही वसूली कर जमा किया गया था जबकि विगत वर्ष 2013–14 में यह ठेका रू0 627000=00 में नीलामी किया गया था तद्नुसार दो माह में न्यूनतम रू0 104500=00 (औसत) की वसूली से रू0 61370=00 की क्षति संस्था को हुई थी जबकि इसके अतिरिक्त यदि उक्त वसूली कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारी का वेतनादि थी सम्मिलित किया जाए तो यह क्षति न्यूनतम रू0 01 लाख से भी अधिक होगी । इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित थी ।

(च) लक्ष्मी इलैक्ट्रिकल्स, हरदोई से सेस कटौती न करने से अधिक भुगतान व राजस्व क्षति रू0 17974=00 :– संस्था द्वारा लक्ष्मी इलैक्ट्रिल्स हरदोई, को व्यय प्रमाणक संख्या– 53 दिनॉ 28–2–15 द्वारा 20 नग स्ट्रीट लाइट आपूर्ति हेतु रू0 17,97,400=00 का भुगतान किया गया था। किन्तु संस्था द्वारा इस धराशि पर 1 प्रतिशत रू0 17979=00 का कटौती न करने से फर्म को इस धनराशि का अधिक भुगतान तथा शासकीय राजस्व की क्षति हुई थी। फर्म से वसूली करते हुए राजस्व की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पॉच) अन्य महत्वूपर्ण अनियमितताएः–

(अ) लाइसेन्स उपविधि लागू न करने से दीर्घावधि से पालिका को सम्भावित भारी आय से वंचित किया जाना :– शासनादेश संख्या–161 सी एम/नौं –9–97–23ज/97 दिनॉक 16–12–97 सपाठित शा0–2399/नौं–9–94–204 जनरल /90–97–23ज दिनॉक 9–6–97 द्वारा शासन द्वारा नागर स्थानीय निकायो द्वारा लगाये जा रहे लाइसेसिंग शुल्क की दरो में वृद्धि करते हुए कुल 39 मदो को सूचीबद्ध करते हुए निकायो को निर्देश किया गया था उनके स्तर से तत्सम्बन्धी उपविधियॉ विधिक प्रकिया द्वारा गजट प्रकाशन कराकर अविलम्ब लागू की जाए जिससे निकायो की आय में आ वश्यक वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध मदो के अतिरिक्त यदि किन्ही मदो में लाइसेन्स शुल्क

पूर्व में लिया जाता रहा है तो उन मदो पर दरो निर्धारित करने हेतु बोर्ड को ही अधिकृत किया गया था किन्तु पालिका के तत्सम्बन्धी अभिलेखो की जॉच से प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा उक्त शासनादेय के लागू होने के 18 वर्षो के उपरान्त भी उक्त के कम में कोई कार्यवाही नही की गयी थी। इससे पालिका के हितो को जानबूझकर क्षति पहुचाये जाने के अतिरिक्त शासनादेश की भी स्पष्ट अवहेलना की गई थी। संस्था द्वारा नगण्य दरो पर छोटा मजबा तथा बडा मजबा कतिपय लाइसेन्स आलोच्य अवधि में निर्गत किये गये थे। पालिका को वित्तीय क्षति पहुचाने के इस प्रकरण में जॉच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही तथा शासनादेश के अनुपालन की कार्यवाही यथीशीघ्र अपेक्षित थी।

<u>(ब) महत्वपूर्ण मदो पर कर उपविधि बजट में प्रकाशित न कराने से पालिका को सम्भावित भारी आय से वंचित किया जानाः–</u>संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार व्यावसायिक गतिविधियों के नगर निकायान्तर्गत संचालन पर कर संग्रहरण हेतु उपविधि तैयार कर गजट में प्रकाशित नही करायी गयी थी जबकि प्रदेश के अधिकाश नगर निकाया में उक्त मदो पर कर संग्रहण कर क्षेत्र के विकास में व्यय किया जाता है, इससे पालिका समस्त विकास कार्यो के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त अनुदानो पर ही निर्भर थी। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय था कि क्षेत्र में बडी संख्या में लगे हुए विज्ञापन बैनरो/होर्डिगो तथा मोबाइ ल टावरो से कर वसूली हेतु उपविधि के अभाव में कार्यवाही नही सम्भव थी। इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही अपेक्षित थी।

<u>(स) सोलर लाइट अधिष्ठान आपूर्ति के बिल से जमानत कटौती न किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक रू0 831072=00:–</u> संस्था द्वारा आलोच्य अवधि में अर्चिता इलैक्ट्रिकल्स को 110 सोलर लाइट आपूर्ति एंव् अधिष्ठान के बिल रू0 1,03,88,400=00 का भुगतान किया गया था। इस बिल से 8 प्रतिशत जमानत राशि की कटौती नही की गयी थी जबकि 10 प्रतिशत धरोहर राशि में से केवल 2 प्रतिशत ही निविदा के साथ जमा की गयी थी। ऐसी स्थिति में आपूर्ति किये ग ये सामग्री अथवा अधिष्ठान में कोई गुणवत्ता विषयक बाद में कमी प्रकाश में आने पर संस्था के पास कार्यवाही का विकल्प नही रह जाता था। यह स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक थी। इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित थी।

<u>द) राजकीय अनुदान की बकाया पर प्राप्त बैंक ब्याज शासन का अभ्यर्पित न किया जाना रू0 4,16,280=00 :–</u> सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि संस्था को प्राप्त शासकीय अनुदान की बैंक खातो में बकाया धनराशि पर प्राप्त बैंक ब्याज की निम्नविवरणानुसार धनराशि रू0 416280=00 संस्था द्वारा शासन को अभ्यर्पित नही की गयी थी। उल्लेखनीय था कि शासनादेश संख्या– 10/2015/ए–1–502/ दस –2015–10(33) /2010 दिनॉक 29–5–2015 सपादित शास0 स0– ए–1–122 /दस– 2012–10(33)2010 दिनॉक 21–3–12 के प्रस्तर–2 में

स्पष्ट निर्दिष्ट था कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित आय संस्था को न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इस आय को राजकोष में जमा कराना होगा। अतः ब्याज की उपरोक्त आय को अवरूद्ध रखा जाना शासनादेश की अवहेलना का प्रकरण था, निम्नवत् प्राप्त इस धनराशि को अद्यतन गणनाकर राजकोष में अभ्यर्पित किया जाय–

क्र0	विवरण	प्राप्त ब्याज की धनराशि
1	13वे वित्त आयोग से प्राप्त	2,49,741=00
2	पिछडा क्षेत्र विकास अनुदान	56,748=00
3	आदर्श नगर योजना	1,09,791=00
	योग	4,16,280=00

(य) आदर्श नगर योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु अनिवार्य शर्ते पूर्ण न किये जाने के उपरान्त भी वर्षोनुवर्ष अनुदान पत्रावली की जांच से विदित हुअ कि संस्था को वित्तीय वर्ष 2012–13 से इस योजनान्तर्गत अ नुदान प्राप्त हो रहा था जबकि इस योजना हेतु दिशा निर्देशों से सम्बन्धित शासनादेश संख्या –555/9–5–2008–370 सा/2006 दिनॉक 24–1–2008 का संलग्नक –1 के आधार पर निम्न बिन्दुओं का अनुपालन न करने के दृष्टिगत संस्था इस अनुदान हेतु पात्र नही थी–

(क) 1– योजना में चयन हेतु जलमूल्य का निर्धारित दर अर्थात रू0 50=00 प्रतिमाह/प्रति संयोजन की दर से आरोपण अनिवार्य था, जबकि संस्था द्वारा मात्र रू0 6=00 की दर से जलमूल्य आरोपित किया गया था जोकि दिनॉक 1–1–15 से बढाकर रू0 30=00 किया गया था। जोकि नगण्य था।

2– प्रत्येक 5 वर्ष में गृहकर की दरो का पुनरीक्षण किया गया हो, जबकि संस्था द्वारा 2002–03 में पंचवर्षीय कराधान को पुनरीक्षित वर्तमान सम्परीक्षा वर्ष 2014–15 तक नही किया गया था।

3– नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित न्यूनतम 80 प्रतिशत भवन कराच्छादित होने अनिवार्य हे, जबकि संस्था द्वारा गत 12 वर्षो की दीर्घावधि से गृहकर पुनरीक्षण न कराने से इस दीर्घावधि में भवनो की भारी वृद्धि करारोपण की सीमा से बाहर रहने से उक्त लक्ष्य पूर्ण न होना सम्भावित था।

(ख) इसके अतिरिक्त अनुदान प्राप्ति के उपरान्त कतिपय महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किये जाने अनिवार्य थे जिनको पूर्णतया अथवा अधिकाशतः प्राप्त नही किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक था–

1. जलकर का आरोपण नही किया गया था।

2. प्रत्येक पांच वर्षो में करो का पुनरीक्षण /अद्यावधिक नही किया गया था।
3. अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण बिलेखो पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का आरोपण नही किया गया था जबकि यह कार्य वर्ष 2012–13 में ही कर लिया जाना था ।
4. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 39 मदो पर लाइसेन्स शुल्क का आरोपण नही किया गया था जबकि यह कार्य वर्ष 2012–13 में ही कर लिया जाना था।
5. जलमूल्य की निर्धारित दरो को लागू नही किया गया था। जबकि यह प्रथम वर्ष अर्थात 2012–13 में ही लिया जाना था।
6. निकाय के कुल करारोपण का न्यूनतम 85 प्रतिशत वसूली के लक्ष्य के विरूद्ध गृहकर 5.54 प्रतिशत तथा जलमूल्य 3.67प्रतिशत ही वसूला गया था।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट था कि राज्य सरकार को इस बहुआयामी योजना के अन्तर्गत उक्त निकाय चयन हेतु पात्र नही था तथा चयन के उपरान्त भी उसके द्वारा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गत वर्षो में सार्थक प्रयास नही किया जाना इस योजना की परफारमेन्स की दृष्टि से आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाए।

(च) समस्त निर्माण कार्य तथा आपूर्ति अति अल्पाकालिक निविदा द्वारा कराया जाना आपत्तिजनकः– संस्था द्वारा समस्त निर्माण कार्य तथा आपूर्ति से सम्बन्धित निविदाऐ अति अल्पकालिक (अधिकाशत 5 या 7 दिवसीय) निविदा द्वारा कराये गये थे ।जबकि सार्वजनिक लेखा नियमावली के निविदा सम्बन्धी नियम–360 से 364 में स्पष्ट निर्देशित है कि समस्त निविदाओ में विज्ञापन या सूचना की तिथि से समुचित अवधि पर निविदा खोली जानी चाहिए विशेषतः बडी निविदाओ में यह समय सीमा कम से कम एक माह की होनी चाहिए केवल अपवादजनक/आकस्मिकता वाले कार्यो में जनहित के दृष्टिगत ही अल्पकालिक निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिए किन्तु संस्था द्वारा सभी कार्यो के लिए 5 दिवस/7दिवस की निविदा आमन्त्रित किया जान, शासनादेशो/मानको की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए निहित स्वार्थवंश तथा संस्था को बाजार प्रतिस्पर्धा से वंछित कर कतिपय ठेकेदारा को लाभ पहुचाने हेतु की गयी प्रतीत होती थी। यह स्थिति अनुदान के उपभोग में गम्भीर अनियमितता का घोतक एवं अत्यन्त आपत्तिजनक थी इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए । कतिपय विशिष्ट उदाहरण निम्नतव् थे ।

क0	निर्माण कार्य/आपूर्ति आदि का विवरण	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	निविदा खोलने की तिथि	प्राक्कलन की धनराशि

<u>(3) जमानत पंजी :–</u>पालिका द्वारा विभिन्न फर्मो/ठेकेदारो से 2 प्रतिशत धरोहर तथा बिल से शेष जमानत राशि की कटौती की जाती थी किन्तु इसके द्वारा इसका अभिलेख रखने हेतु कोई पंजिका अनुरक्षित नही की गयी थी। उल्लेखनीय था कि आलोच्य अवधि में अनेकानेक व्यय प्रमाणको से विभिन्न फर्मो/ठेकेदारो को अर्नेस्ट मनी तथा जमानत धनराशि की वापसी की गयी थी जिसकी पुष्टि सम्भव नही थी ऐसी स्थिति में दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता था। उक्त पंजी तैयार व सत्यापित कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाए।

<u>(4) लाइसेन्स पंजीः–</u> संस्था द्वारा लाइसेन्स पंजी अनुरक्षित न किये जाने से यह सत्यापन किया जाना सम्भव न था कि किन–किन मदो में, आलोच्य अवधि में कितने लाइसेन्स निर्गत/नवीनीकृत किये गये थे तथा कितने लाइसेन्स नवीनीकृत नही किये गये थे। परिणामस्वरूप पालिका को क्षति सम्भावित थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी सम्परीक्षा में पंजी अनुरक्षित कर पुष्टि करायी जाए।

<u>(5) ठेकेजात मॉग– समाहरण पंजी :–</u> संस्था द्वारा विभिन्न मदो में आवंटित ठेको के सम्बन्ध में मॉग समाहरण पंजिका अनुरक्षित नही की गयी है जिससे गत–विगत वर्षो में आवन्टित ठेकेजात के सम्बन्ध मे ठेकेदारो पर बकाया धनराशि की स्थिति सम्परीक्षा में अज्ञात रही। इससे पूर्व में बकाया धनराशि की क्षति की प्रबल सम्भावना थीं। पंजी अनुरक्षित कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाए तथा पुष्टि की जाए कि पूर्व की कोई धनराशि बकाया नही है।

<u>(ज) दोहरी लेखा प्रणाली को लागू न किया जाना आपत्तिजनकः–</u> संस्था द्वारा पालिका के अभिलेख दोहरी लेखा प्रणाली पर अनुरक्षित नही किये गये थे इससे संस्था की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण तैयार नही किया जा रहा था, यह स्थिति अनियमित थी इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए संस्था की आलोच्य अवधि की बैलेन्स शीट व आय व्ययक प्रस्तुत किया जाय।

<u>(झ) वाहनो की लॉग बुक अप्रस्तुत –</u> संस्था के स्वामित्वाधीन वाहनों लॉग बुके सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत नही की गयी थी, इससे इनके संचालन में प्रयुक्त पेट्रोल/ डीजल मरम्मत व्यय व अन्य उपरिव्ययो का सत्यापन न किया जा सका। इन्हे आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

<u>(ञ) 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्राप्त न करने से क्षति :–</u> सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा इसके क्षेत्रान्तर्गत सम्पादित अचल सम्पादित हस्तान्तरण बिलेखो की धनराशि पर 2 प्रतिशत शुल्क वसूली हेतु नियमावली गजट में प्रकाशित करायी गयी थी। किन्तु आलोच्य वर्ष में प्राप्त आय की समीक्षा से स्पष्ट था कि संस्था को तहसील बिलग्राम स्थिति निबन्धन विभाग से कोई धनराशि उक्त मदो में प्राप्त नही हुई थी संस्था द्वारा इस

सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से पालिका विकास कार्यो हेतु सम्भावित बडी आय से बंचित थी। पालिका द्वारा मानचित्र पारित कराने एवं म्यूटेशन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ही कतिपय मामलो में क्षुद्र धनराशि प्राप्त की जाती थी । इस सम्बन्ध में अविलम्ब आयुक्त, निबन्धन विभाग, लखनऊ तथा जिलाधिकारी, हरदोई से पत्राचार कर धनराशि की प्राप्ति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाये।

(ज) सोलर स्ट्रीट लाइट कय में गम्भीर वित्तीय अनियमितताऐ– संस्था द्वारा वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से सोलर लाइट कय एवं अधिष्ठान का कार्य आलोच्य अवधि में मैं अर्चिता इलेक्ट्रिकल्स से कराया गया था। जिसकी पत्रावली की जॉच से निम्नाकित बिन्दुओ पर गम्भीर वित्तीय अनियमितताऐ प्रकाश में आयी । इनका औचित्य स्पष्ट किया जाय।

1– कार्य को नियमानुसार नगर अभियन्ता (जल) द्वारा सत्यापित कराया जाना चाहिए जबकि बिल से स्पष्ट था कि इसे मात्र पालिका के अवर अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया गया था।

2– 2 प्रतिशत धरोहर रू0 14283=00 धनराशि डिमाण्ड ड्राफट द्वारा निक्षेप की गयी थी जबकि नियमानुसार इसे सावधि जमा/एन0एस0सी/नकद के स्वरूप में होना चाहिए था।

(3) 8 धरोहर धनराशि रू0 8,31,072=00 की कटौती नही की गयी थी। इससे गम्भीर क्षति की सम्भावना उत्पन्न हो सकती थी।

(4) विघुत सुरक्षा परिषद का प्रमाण पत्र संलग्न नही था।

(5) फर्म के बिल से 1प्रतिशत सेस रू0 1, 03,884=00 की भी कटौती नही की गयी थी।

(6) फर्म द्वारा नेडा से पत्राचार कर उनकी दरे प्राप्त नही की गयी थी विज्ञप्ति प्रकाशन के क्रम में प्राप्त तीन निविदाओं में से न्यूनतम निविदा को स्वीकृत कर रू0 94,440=00 प्रति लाइट की दर से आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था यदि नेडा की दरे प्राप्त की गयी होती तो उक्त सरकारी एजेन्सी से बहुत कम दर पर आपूर्तित द्वारा बडी धनराशि की बचत कर अन्य विकास कार्यो में लगाया जा सकता था।

भाग–ख

2– गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :– गत सम्परीक्षा आख्या संस्था के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी किन्तु अनुपालन कार्यवाही के अभाव में समीक्षा सम्भव न हो सकी। अनुपालन कार्यवाही न किये जाने से गत विगत वर्षो की अनिस्तारित आपत्तियों जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट–क में दिया गया है, की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। ये स्थिति शासकीय हितो के प्रतिकूल थी। इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3– वित्तीय स्थितिः– संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो से जहॉ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में इसकी वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट–ख में दर्शायी गयी है।

टिप्पणीः–(1) संस्था द्वारा वर्गीकृत सार पंजी अनुरक्षित नही की गयी थी इसके अभाव में उपरोक्त आकडे रोकडबही के वाहय संकलन पर आधारित है, वर्गीकृत सार पंजी तैयार कर इसकी पुष्टि करायी जाय।

(2) कोषागार में अवशेष 31–3–15 को दर्शायी गयी धनराशि में अनुदान की मदवार विभिन्न मदो की सम्मिलित धनराशि की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) उपरोक्त व्यय में राज्य वित्त आयोग से भुगतानित रू0 47,37,844=00 तथा नगरीय सडक सुधार अनुदान से भुगतानित रू0 1,14,10871=00 के अभुक्त चेक भी सम्मिलित है। इसकी पुष्टि वांछित है।

(4) रा0वि0आ0 का पी0एल0ए0 विवरण प्रस्तुत कर कोषागर में 31–3–15 को अवशेष की पुष्टि वांछित है।

(5) वर्ष 2014–15 में कुल व्यय रू0 9,60,71,495=00 के सापेक्ष 3173–15 को कुल रू0 1,99,28,251=00 अभुक्त चेक शेष अर्थात कुल व्यय का 20.74 अभुक्त चेक होने से स्थिति आपत्तिजनक थी इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय ।

(6) आय व्यय का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट–ग में भी दिया गया है।

4– राजकीय अनुदान :– प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में नगर पालिका परिषद को प्राप्त निम्नलिखित राजकीय अनुदानो का उपभोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए उनमें निहित रहते हुए किया गया था तो उकस उल्लेख इस आख्या में यथा स्थान कर दिया गया है। आलोच्य अवधि में संस्था को प्राप्त राजकीय अनुदानो का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0	विवरण	धनराशि

1	तृतीय राज्यवित्त आयोग	4,62,96,165=00
2	13वॉ वित्त आयोग	28,55,485=00
3	आदर्श नगर योजना	86,00,000=00
4	नगरीय सडक सुधार योजना	1,42,96,000=00
	योग	7,20,47,650=00

<u>टिप्पणी:– (1)</u> संस्था द्वारा अनुदान पंजी अनुरक्षित न किये जाने से उपरोक्त विवरण रोकडबही एवं अन्य पत्राजात के बाहय संकलन पर आधारित है। जो कि अनन्तिम है, पुष्टि की जाय कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान आलोच्य अवधि में प्राप्त नही था।

2– अनुदान पंजी निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित कर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत की जाय।

3– उपरोक्त अनुदानों की उपभोग अवधि/निस्तारण की स्थिति सम्बन्धित शासनादेशो के अभाव में अस्पष्ट रही, जिन अनुदानो की उपभोग अवधि समाप्त हो गयी थी ।उनकी अवशेष धनराशि शासन को अभ्यर्पित की जानी अपेक्षित थी।

(4) राजकीय अनुदान की बैक खातो में अवशेष धनराशियों पर बैंक से प्राप्त ब्याज निम्नवत् था जिसे संस्था द्वारा वापस नही किया गया था, इसे अविलम्ब शासन को अभ्यर्पित किया जाय।

क0	विवरण	धनराशि
1	13वॉ वित्त आयोग	2,49 ,741=00
2	पिछडा क्षेत्र विकास अनुदान	56,748=00
3	आदर्श नगर योजना	1,09,791=00
	योग	416280=00

(5) संस्था द्वारा अनुदान पंजी निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित न करने से विभिन्न मदो में प्राप्त अनुदान की धनराशि से पृथक पृथक किया गया व्यय तथा अवशेष की स्थिति बाहय संकलन द्वारा तैयार किया गया है। इसकी अभिलेखीय पुष्टि अपेक्षित है।

(6) अनुदान का विवरण परिशिष्ट–घ एवं ङ0 में भी दिया गया है।

5– राजकीय ऋण :– आलोच्य अवधि में संस्था को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नही हुआ था तथा नया सेवरा योजना की अवशेष धनराशि रू0 12,21,023=00 वर्षान्तर्गत दिनॉक 10–2–15 को वापस की गयी थी। इसके अतिरिक्त कोई ऋण प्रतिदान हेतु शेष नही था। इसकी पुष्टि अभिलेखीय आधार पर किया जाना वांछित है।

टिप्पणीः– उपरोक्त ऋण वापसी का अभिलेखीय साक्ष्य सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इसे आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

6– विनियोजनः– आलोच्य अवधि में संस्था द्वारा कोई विनियोजन नही किया गया था न ही कोई पूर्व विनियोजन भुनाने हेतु शेष था, इसकी पुष्टि करायी जाय।

7– सम्परीक्षा शुल्क की देयताः– वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की रा0 स0– 1705/ दस–2010–(2010–(101) 33/96 दिनॉक– 21 जुलाई 2010 में दी गयी व्यवस्था के कम में आगणित करने पर वर्ष 2014–15 की सम्परीक्षा हेतु रू0 262800=00 सम्परीक्षा शुल्क देय होता है । इससे सम्बन्धित सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत कर दिया गया है। इससे कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत शीघ्र जमा कराया जाय, एवं चालान की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित की जाए।

8– नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व :– संस्था द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण गत विगत वर्षो से अनुरक्षित नही किया जा रहा था। दोहरी लेखा प्रणाली लागू होने के दृष्टिगत इस विवरण का नया बनाया जाना अत्यन्त उदासीनता का घोतक था। विवरण को शीघ्र तैयार कर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत किया जाय, जिससे पालिका की ऋण ग्रस्तता की स्थिति ज्ञात हो सके।

9– भविष्य निर्वाह निधि की स्थिति :– आलोच्य अवधि में भविष्य निर्वाह निधि की अंशदान तथा ऋण वापसी की धनराशि अद्यतन कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी बचत खातो में जमा थी परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर इसका अभिलेख तैयार नही किया गयाथा, जिससे इसकी समग्र जॉच सम्भव न हो सकी। इसे अनुरक्षित कर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

10– नजूल सम्पत्ति की स्थिति– संस्था द्वारा नजूल पंजी अनुरक्षित नही की गयी थी, जिससे संस्था के स्वामित्व में विद्यमान नजूल सम्पत्ति की स्थिति सम्परीक्षा में ज्ञान न हो सकी। इसकी पंजी तैयार कर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत की जाय।

टिप्पणीः– जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था के स्वामित्व में नजूल सम्पत्ति की स्थिति अद्यतन स्पष्ट की जाय।

11– सफाई कर्मचारी कल्याण निधि :– इस निधि के अन्तर्गत रू0 35/– डाकघर बिलग्राम स्थिति खाते में अनेकानेक वर्ष पूर्व का जमा था जिसकी पुष्टि हेतु संस्था द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। यह स्थिति असन्तोष जनक थी। इसकी पुष्टि अभिलेखीय आधार पर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर करायी जाय।

12– मॉग समाहरण की स्थितिः– संस्था द्वारा गृहकर,जलकर, जलमूल्य तथा ठेकेजात की मॉग समाहरण पंजी दीर्घावधि से अनुरक्षित नही की गयी थी। इससे वर्ष में वसूली की समग्र जॉच किया जाना सम्भव न हो सका। यह स्थिति सम्परीक्षा के दृष्टिगत अत्यन्त आपत्तिजनक थी तथा इससे वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावनाओ को बल मिलता था। यथा शीघ्र समस्त मॉग समाहरण पंजियॉ अद्यतन अनुरक्षित कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय। पालिका द्वारा मासिक बाहय गणना आधारित मॉग, वसूली तथा अवशेष की स्थिति का विवरण परिशिष्ट –च में वर्णित है।

टिप्पणीः– (1) मॉग वसूली पंजियों के अभाव में उक्त आकडे अनन्तिम है पंजियॉ तैयार कर इनकी पुष्टि करायी जाय।

(2) संस्था के कर्मचारियों द्वारा वर्ष में गृहकर जलकर तथा जलमूल्य की वसूली का प्रतिशत मात्र 5.14 प्रतिशत ,5.54 प्रतिशत तथा 3.67प्रतिशत था जो कि बकाया की दृष्टिगत नगण्य था। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3) संस्था द्वारा दोहरी लेखा प्रणाली के अन्तर्गत साफटवेयर से लेखाभिलेख अनुरक्षण हेतु वर्ष 2012–13में चाट्र्ड अकान्टेन्ट को भारी धनराशि का भुगतान किया गया था।जिससे शा0स04094/नौ–5–2008–119 शा/2007 दिनॉक 02–6–2008 में एक महत्वपूर्ण शर्त संस्था के एक कर्मचारी को प्रशिक्षित करना तथा वर्षानुवर्ष कम्प्यूटर से लेखा तक्यार करने योग्य बनाना भी थी इसके बावजूद मॉग समाहरण पंजियों का अनुरक्षण न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(4) संस्था द्वारा अनुरक्षित भवन किरया मॉग समाहरण पंजी को निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित नही किया गया था तथा इसके योगदि भी नही किये गये थे। उपरोक्त आकडे सम्परीक्षा में बाहय गणना पर आधारित है। ये स्थिति नितान्त आपत्ति जनक थी। पंजी के योगदि पूर्ण कर सम्परीक्षा में ऑकडो की पुष्टि करायी जाय।

(5) गतवर्ष 2013–14 में गृहकर,जलकर व जलमूल्य की वसूली क्रमशः 20.83,17.93 तथा 10.66 थी। इससे 2014–15 में क्रमशः 75 प्रतिशत, 65प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी थी। इतनी भारी कमी का कारण स्पष्ट किया जाय

(6) किराया मॉग समाहरण पंजी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही थी। इसे सत्यापित कराकर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत की जाय।

13– अधिष्ठान की जॉचः– सेवा पुस्तिकाओ की जॉच से प्रकाश में आया कि संस्था की अधिकांश सेवापुस्तिकाओ में प्रविष्टियॉ अपूर्ण थी, जिनमें वेतनवृद्धियों की भी अद्यतन प्रविष्टियॉ नही की गयी थी। उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अ वकाश की प्रविष्टियॉ दर्ज ही नही की ग ई थी अथवा अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्तिक लाभो हेतु नामाकंन तथा परिवार का विवरण भी दर्ज नही किया गया था। इन्हे पूर्ण कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

नोट– सम्परीक्षा आख्या भाग–तीन रिक्त है।

(श्याम सिंह)
उपनिदेशक
लखनऊ मण्डल लखनऊ

दिनॉक– 06–2–16
स्थान– लखनऊ
देवेन्द्र प्रकाश आर्य
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

प्रस्तर - 2 में संदर्भित परिशिष्ट - क

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

वर्षावधि	आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
2004-05	1(क)(1)(2)(ग)(घ)(1)(च)(1)(छ)(1)(2)(3)(4)(5)(ज)(झ) (1)(2)(ट)(2)(ठ)(2)(ड)(1)(2)(3)(4), 2 टि० (1)(2)(3), 4, 8, 10 टि० (3), 11	—	27
2005-06	1 (ख)(घ)(ङ)(च) टि०, 2 टि० (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11), 3 टि० (3)(4), 7	—	17
2006-07	1(क)(1)(2)(3) (ख)(1)(2)(3)(4)(5)(ग)(1)(2)(3)(घ)(2)(3) (ङ)(1)(2)(3)(क)(ख)(ग) (चार) (पांच) (च) (ज)(1)(2)(झ) (1)(2)(3)(4) (ट)(1)(2)(3)(4)(5)	—	33
2007-08	1(क)(ख)(ग)(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(ख)(ज)(झ)(ज)(ञ) 2 टि० (1)(2)(3)(4), 3 टि० (1)(2)(3)(4), 4 टि० (ट)(त)(फ), (1)(2), 5 टि० ~~(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)~~ 6, 7, 8, 9, 10, 11 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	1 से 25	46
2008-09	1(क)(ख)(ग)(घ)(च)(छ)(ज)(झ)(1)(2)(3)(4)(5) टि० (1)(2)(3) (4)(5)(6)(7). (चार) (पांच) (ट)(ठ)(ण), 2 टि० (1)(2), 4 टि० (1)(2)(3)(4), 5 टि० (1)(4), 6, 7, 8, 9, 10, 11	1 से 3	37
2009-10	भाग क - (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) (छः) (ख) (एक) (दो) (तीन) (चार) टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6) (पांच) टि० (1)(2)(3)(4)(छः) (आठ) (नौ) (दस)	—	23
2010-11	भाग-क - क (1)(2)(3)(4)(5)(6) भाग ख - 2 टि० (1)(2)(3), 4, 4 टि० (1)(2)(3), 5, 6, 7, 8, 9, 10 टि० (1), 11 (टि०)(1), 12 (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)	—	26
2011-12 से 2012-13	भाग क - तीन (क) टि०, 3 (ख) टि० (1)(2), 3 ग (1)(2), 3 (घ), 3(ङ), 3 (च), 3 (छ) (1)(2), 3 (ज)(1)(2), 4 (क) टि०, 4 (ख), 4 (ग), 6 (क) टि० (1)(2)(3)(4), 6 (ख), 6 (ग), 6 (घ), 6 (ङ), 6 (च), 6 (छ) टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6) (ज) टि० (1)(2) (झ) टि० (1)(2), 9 (क)(1)(2) भाग ख - 2 टि० (1)(2)(3), 3, 4 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), 5 टि० (1), 6, 7, 8, 9 (1)(2)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	—	68

क्रमशः

प्रपत्र - 3 में संदर्भित परिशिष्ट - ख

वित्तीय स्थिति का विवरण

1 अप्रैल 14 को प्रारम्भिक शेष	2,86,04,651=00
वर्ष की आय	7,53,14,355=00
योग	10,39,19,006=00
वर्ष में व्यय	9,60,71,495=00
31 मार्च 2015 को अवशेष	78,47,510=00 (क)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	78,47,510=00 (ख)
जोड़िए - अभुक्त चेक	1,99,28,251=00
बैंक शेष का विवरण — बैंक शेष	2,77,75,761=00

(1) पी०एन०बी०, हरदोई - 4105000100048384 (आ० न० यो०)	11,76,237=00
(2) एस.बी.आई. हरदोई - 11125655105 (श० वि० आ०)	53,59,276=00
(3) पी०एन०बी० - 2003000100714987 (13वां वित्त)	53,81,671=00
(4) आर्यावर्त ग्रा० बैंक - 10215101000084224 (अवस्थापना)	8,28,674=00
(5) पंजाब नेशनल बैंक - 41050001000059886 (बी०आर०जी०एफ०)	11,69,885=00
(6) ------ - 139	1,22,970=00
(7) एस बी आई - 33189779697 (नया सवेरा)	7,77,032=00
(8) एस बी आई - 33189855139 (नगर जल निकासी)	45816=00
(9) एस०बी०आई - 34663635242 (नगर स०सुधार)	1,26,99,489=00
(10) कोषागार -	2,20,711=00
योग	2,77,75,761=00 (ग)

वर्ष 2014-15 में

नगर पालिका परिषद/ जिला पंचायत/ ...
(अ...

क्रम	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 14 को 5TO अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय
1	2	3	4(क)
	उपरोक्त	28604650	3266705

प्रपत्र - 5 में संलग्न परिशिष्ट - घ

प्रपत्र संख्या स्था0 नि0 ले0 105

वर्ष 2014-15 में

~~धिसूचित क्षेत्र समिति~~ / ~~नगर क्षेत्र समिति~~ बिलग्राम, हरदोई द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(अंक पूर्ण रुपयों में)

	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
		कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
	3	4		5
राज्य वित्त आयोग	4,62,96,165	4,62,96,165	—	
13वां वित्त आयोग	28,55,485		28,55,485-	
आदर्श नगर योजना	86,00,000		86,00,000-	
ग्रामीण सड़क सुधार योजना	1,42,96,000		1,42,96,000-	
अन्य अधिनियमों के के बदले धिसूचित क्षेत्र समिति । आय के समतुल्य				
उप-शुल्कों के समतुल्य				
योग . .	7,20,47,650	46296165	2,57,51,485	

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

प्रस्तर - 4 में संदर्भित परिशिष्ट - 50

अप्रयुक्त अनुदान

स्था० नि० फा० सं०--30

वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बिलग्राम द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	वर्षान्त में अप्रयुक्त अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	शास.सं०-920/नौ-5-13-140-बजट/2012 दि०-12 मार्च 2013	नगरीय जल निकासी	24,77,000	31.3.13	87997	—	87997	87997	शून्य	
2.	पत्रांक-2145/33-3-11-100 (सी)/2011 दिनांक-5/8/11	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	5048000	5.8.11	2502928	56748 (प्राप्त ब्याज)	2559676	1521766	1037910 (ब्याज सहित)	अवशेष धनराशि अविलम्ब वापस प्रेषित की जाए।
3.	शा.सं.-17(2)-98-2013-14-/आ० न० यो०/12 दिनांक - 31/1/2013	आदर्श नगर योजना वर्ष 2012-13	50,00,000 (अनुदान) 5,55,556 (अंशदान)	23.2.13	732943	←	732943	732943	शून्य	

राजाज्ञा संख्या——————दिनांक——————के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,——————विभाग को प्रेषित।

सं०——————

दिनांक——————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,
उत्तर प्रदेश।

जी० एस० यू० पी०--9 स्था० नि० ले०--3-8-'99--100,000 (जाब)।

प्रस्तर-4 में संदर्भित परिशिष्ट-च

[illegible]

वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, बिल्ग्राम, हरदोई द्वारा प्राप्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	निदेशक, स्थानीय निकाय के विभिन्न पत्रों से	राज्य वित्त आयोग	4,62,96,165	2014-15	17156950	4,62,96,165	63453115	62831683	621432	
5.	8/607/92(1)/13 वाँ वित्त आ० (सामान्य बुनियादी अनु० (प्रथम किश्त) वित्तीय वर्ष 2014-15 / दि० 20/10/14	13 वें वि० आ०	17,11,378	2014-15	शून्य	28,55,485	2855485	2855485	शून्य	
6.	8/5542/92(1)/13 वां वि० आ०/2012-13/2013-14 दिनांक 31.3.14	— तदैव —	1144107							

राजाज्ञा संख्या———— दिनांक———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

सं०————

दिनांक————

निरीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

मु० बक्स मु० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—100;000 (जाव)।

33.

स्था० नि० के० फं०—३३

वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सं०पा०परि० विलग्राम, हरदोई द्वारा अवमुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अवशिष्ट धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	5257/आ०न०यो०/ 9-8-14-3/आ०न०यो० (बजट)/2014 दिनांक- 18/2/14	आदर्श नगर योजना 2014-15	43,00,000	16.5.14	शून्य	86,00,000 1,09,791- (ब्याज)	87,09,791	8702665	7126- (ब्याज का अंश)	वर्ष में प्राप्त बैंक ब्याज की धनराशि में से रु० 1,02,665/- व्यय कर लिया गया था यह आपत्तिजनक था इसकी प्रतिपूर्ति करते हुए ब्याज की समस्त धनराशि की वापसी अपेक्षित थी।
8.	303/2471/आ०न०यो०/ 9-8-14-2/आ०न०यो० (बजट)/2013 दिनांक- 3/11/14	— तदैव —	43,00,000	8.1.15						
9.	5174/नौ-5-2014-22बजट/2014 दिनांक- 12/11/2014	नगरीय सड़क सुधार योजना	1,42,96,000	16.2.15	शून्य	1,42,96,000	14296000	13,07,382	12,88,618	

पत्रांक संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ में महालेखाकार; उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन; ———— विभाग को प्रेषित।

सं० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा;
उत्तर प्रदेश।

मी० प्रेस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99--100;000 (जाब)।

35.

अप्रयुक्त अंश

[illegible] — 30

वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

[illegible]	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अप्रयुक्त धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नया सवेरा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में प्राप्त	सड़क निर्माण हेतु	50 लाख	2012-13	4310852	——	4310852	4310852	शून्य	वर्षान्तर्गत रु. 12,21,023/- कोषागार चालान द्वारा समर्पित

आख्या संख्या——— दिनांक ——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। ——— [illegible] को प्रेषित।

सं0 ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

मी0 सं0 यू0 पी0—9 स्था0 नि0 ले0—3-8-'99—100,000 (जाब)।